



राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

एफ29(73)एनआरएचएम / एमएमजेआरके / बीपीएल काउण्टर स्टाफ / 10 / 150

दिनांक : 26/02/15

स्वीकृति आदेश

मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के अन्तर्गत निम्न विवरण तालिका के अनुसार जिलो में कार्यरत संविदा कार्मिको यथा-कम्प्यूटर ऑपरेटर, फार्मासिस्ट एवं लेखाकर्मियों की समयावधि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये दिनांक 29.02.2016 तक अथवा नियमित सृजित पदों के विरुद्ध नियुक्ति होने तक जो भी पूर्व में हो तक इस शर्त के साथ बढ़ाई जाती है कि उक्त कार्मिकों की सेवायें वित्त विभाग के परिपत्र संख्या प.1(4)वित्त/नियम /2011 पार्ट सेकण्ड, दिनांक 27.06.2014 के दिशा-निर्देशानुसार ली जायेगी।

S. No.	Name of District	Computer Operator	Pharmacist	Accounts Clerk	Total
1	Ajmer	17	3	3	23
2	Alwar	21	3	2	26
3	Banswara	18	0	1	19
4	Baran	10	0	0	10
5	Barmer	13	0	0	13
6	Bharatpur	10	3	1	14
7	Bhilwara	16	0	0	16
8	Bikaner	17	3	2	22
9	Bundi	12	0	0	12
10	Chittorgarh	14	2	1	17
11	Churu	11	3	1	15
12	Dausa	10	0	0	10
13	Dholpur	7	0	0	7
14	Dungarpur	9	1	1	11
15	Ganganagar	8	1	0	9
16	Hanumangarh	12	1	0	13
17	Jaipur I	44	10	2	56
18	Jaipur II	9	2	1	12
19	Jaisalmer	4	3	4	11
20	Jalore	11	1	1	13
21	Jhalawar	12	1	0	13
22	Jhunjhunu	15	0	1	16
23	Jodhpur	25	10	2	37
24	Karauli	4	0	0	4


S. No.	Name of District	Computer Operator	Pharmacist	Accounts Clerk	Total
25	Kota	27	4	2	33
26	Nagaur	16	8	4	28
27	Pali	9	1	0	10
28	Pratapgarh	5	1	0	6
29	Rajasamand	13	1	1	15
30	Sikar	14	3	1	18
31	Sirohi	7	1	0	8
32	S. Madhopur	5	1	0	6
33	Tonk	10	1	0	11
34	Udaipur	32	2	2	36
TOTAL		467	70	33	570

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के तहत प्रदान की जाती है -

1. कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत संविदाकर्मीयों को प्रतिमाह मानदेय की राशि इस विभाग के स्वीकृति आदेश क्रमांक 3966, दिनांक 10.09.2009 के अनुसार दी जावेगी।
2. संविदा लेखाकर्मीयों (सेवानिवृत्त कर्मचारी) को कार्मिक विभाग, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर लिया जावेगा।
3. इन संविदाकर्मीयों को देय मासिक पारिश्रमिक की राशि मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत वहन की जावेगी।
4. जिन चिकित्सा संस्थानों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध संविदाकर्मीयों के पद खाली है अथवा पद नये स्वीकृत किये गये है उन चिकित्सा संस्थानों को वित्त विभाग के परिपत्र प.1(4) वित्त/नियम/2011, दिनांक 17.06.2011 के अनुसरण में संविदाकर्मीयों की सेवा लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। Existing संविदाकर्मी यदि वर्ष 2014-15 के मध्य में सेवा छोड़ देता है तो उसके रिक्त पद को भी वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17.06.2011 की शर्तों अनुसार भरा जावे।

उपरोक्त संविदाकर्मीयों की स्वीकृति संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग के आईडी क्रमांक 101500571,

दिनांक 19.02.2015 के क्रम में जारी की जाती हैं।



विशिष्ट सचिव

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं मिशन
निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, एन.एच.एम., भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।

9. प्रबंध निदेशक, आरएमएससी, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
10. अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
11. निजी सचिव, सचिव (व्यय), वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
13. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
14. समस्त प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, राजस्थान।
15. समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, राजस्थान।
16. निदेशक, आईईसी/जन स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/एड्स, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
17. परियोजना निदेशक, एनआरएचएम/एमएमजेआरके, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
18. निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
19. शासन संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
21. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
22. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
23. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
24. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय/सैटेलाईट/उप खण्ड चिकित्सालय, राजस्थान।
25. समस्त ब्लॉक सीएमएचओ/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
26. अनुभाग अधिकारी, एचआर, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
27. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को भेजकर लेख है कि स्वीकृति आदेश की प्रति संबंधित जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को तथा सैटेलाईट/उप खण्ड चिकित्सालयों के प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को उपलब्ध करवाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करावें।
28. ईन्चार्ज सर्वर रूम, एनआरएचएम, स्वास्थ्य भवन, जयपुर को भेजकर लेख है कि संबंधित को ई-मेल करवाने का श्रम करावें एवं विभाग की संबंधित वेबसाइट तथा एमएमजेआरके के सॉफ्टवेयर में अपलोड करावें।
29. रक्षित पत्रावली।

Rinsu

(डॉ० आर०नी० जायसवाल)
परियोजना निदेशक
मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष